श्याम सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे० मु.नं. - 46/25
11.08.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस अन्तिम वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 22.08.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26.09.2025	अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व व न्यायिक अदालतों में कार्य स्थगन करने पर निर्धारित पेशी 22.08.2025 को हड़ताल होने पर इकजाई तारीख पेशी देते हुए आज न्यायालय में हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अन्तिम बहस सुने एक माह से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में निर्णय नहीं किया जा सका। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की पुनः बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक [illegible].10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
03.10.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 08.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
08.10.2025	[illegible] हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] निषेधाज्ञा पर अन्तिम बहस पूर्व में सुनी [illegible] है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अवगत [illegible] कि [illegible] शामलाती भूमि में 1/3 हिस्सा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के [illegible] फौत होकर विरासतन

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्राप्त हुई है जबकि उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व तरतीबी पक्षकार नम्बर 6 व 7 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी नम्बर 1 एवं तरतीबी पक्षकार प्रत्येक का जमात 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है। इसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के दादा हनुमानसिंह के नाम से दर्ज थी एवं उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं.1 के एवं अन्य के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एवं तरतीबी पक्षकार एक ही परिवार से है जो शजरा खानदान से प्रकट होता है। प्रार्थी का पिता अप्रार्थी संख्या 1 काफी झगड़ालू व गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। जिसने शुरू से ही प्रार्थी के साथ झगड़ा व क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों को पूर्व से ही अलग से मौके पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता ने शराब के नशे में प्रार्थी की पैतृक भूमि को अप्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दी। जिसका अप्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 1 का केवल 1/4 हिस्सा निहित है फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के उक्त पैतृक हिस्से को भी जबरन अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 21.03.2025 को बेचान कर दिये जाने से प्रारम्भतः अवैध व शून्य है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के प्यारेलाल बनाम [illegible] के निर्णयानुसार उक्त विक्रय लेख को निरस्त कराने से पूर्व उक्त भूमि के प्रार्थी पैतृक हक हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर अच्छे व बुरे का फर्क नहीं कर गलत संगत में आकर उक्त भूमियां अप्रार्थी सं. 2 को बेचान क[illegible] आधार पर दिनांक 30.03.2025 को उक्त भूमि पर [illegible] प्रार्थी को और जबरन ताकत के बल [illegible] धमकी देने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्र[illegible] दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त वस्तुतः प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा अप्रार्थीगण अपने उक्त बेजा मकसद में कामयाब	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	श्यामसिंह बनाम राजेन्द्र सिंह हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रा०पत्र अस्थाई निषे० क्र.न. 46/25
	हो जायेगें तो प्रार्थी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। वहीं दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अवगत कराया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा खातेदार अप्रार्थी सं. 1 को प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय लेख पंजीबद्ध कराया जाकर खरीदशुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त कर सद्भाविक केता होकर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से अपनी खातेदारी व कब्जे की सम्पूर्ण भूमि का खातेदार बतौर मालिक की हैसियत से समस्त प्रकार के उपयोग उपभोग करने, अन्तरण करने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है। जिसमें किसी भी प्रकार की मजाहमत, व्यवधान या दखलन्दाजी पैदा करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के आशय से पेश किया है। जमीनों की कीमतें बढ़ जाने के कारण प्रार्थी के मन में बेईमानी व लालच आ जाने तथा अप्रार्थी सं. 2 पर दवाब बनाने व रूपये ऐंठने की मंशा से प्रार्थना पत्र टी.आई. पेश की गई है जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 की खरीदशुदा व खातेदारीशुदा भूमि पर जबरन कानून को हाथ में लेकर मौका पाकर सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा आदि करने पर तत्पर हो रहा है। प्रार्थी द्वारा बदनियति से मिथ्या तथ्यों पर पेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 25.04.2025 को उक्त भूमियां से बेदखल करने और खुर्द बुर्द करने की एलानियां धमकी दिये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कास प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 3377, 3378, 3379, 3380, 3381 कुल किता 5 कुल रकबा 0.3700 हेक्टर [illegible] हरोली तहसील श्रीमाधोपुर में अप्रार्थी संख्या 2 की खरीदशुदा [illegible] कब्जा काश्त में किसी प्रकार के मजाहमत नहीं करने बाबत [illegible] को कास अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान को ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

श्यामसिंह बनाम जोगेन्द्रसिंह

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपत्र आपत्ति [illegible] नं. — 14/2025	
	पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 की तीन जमाबन्दियाँ, नामान्तकरण संख्या 1897/1, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 21.03.2025 की फोटोप्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3377, 3378, 3379, 3380, 3381 कुल किता 5 कुल रकबा 0.3700 हैक्टर वन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पैतृक भूमि होने से जरिये विरासतन अनुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमियों की खातेदारी प्रार्थी के पड़दादा व अप्रार्थी संख्या 1 के दादा नारायण सिंह पुत्र कालू सिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमियों की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिये विरासतन दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिससे उक्त भूमियाँ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक भूमियाँ होना विदित होता है। उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई पैतृक भूमियाँ प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1, 6 व 7 के होना साबित/प्रकट नहीं है। इस प्रकार उक्त भूमियों में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने 1/3 हिस्से सम्पूर्ण का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 21.03.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पंजीबद्ध करवाया जाकर तस्दीक करवाया जाना प्रकट होता है। उक्त भूमियाँ अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता हनुमानसिंह पौत्र नारायण सिंह से भूमि के पैत्रृक भूमि होने से जरिये विरासतन प्राप्त होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूमि का बेचान किया जाना राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि के पैतृक भूमि होने एव प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या 1 के जायदा पुत्र होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 का भी हित निहित होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या [illegible] द्वारा अपने [illegible] राजस्व रिकार्ड मे दर्ज भूमि का बैचान अप्रार्थी [illegible] बैचान में प्रार्थी की सहमति बतौर [illegible] नहीं होने से वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी का हित प्रभावित होना प्रतीत होता है। जहाँ तक पैतृक भूमि का प्रश्न है, उसमें प्रार्थी का हित प्रथम दृष्टया होना प्रकट होता है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इश्वार सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	ग्राम/… अस्थाई निषे. — 254 — 45/2025
	इस प्रकार प्रार्थी का वादग्रस्त विरासतन पैतृक भूमि में प्रथम दृष्टया हित निहित होने जबकि उसका हक अधिकार दावे में तय होने से एवं अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से सम्पूर्ण हक हिस्सा क्रय कर लिये जाने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में प्रकट होने व इससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को अपूरणीय क्षति होना भी प्रकट होता है। जिसके लिए उभय पक्षकारान् को उक्त वादग्रस्त भूमि के भविष्य में होने वाली खरीद फरोख्त को नियन्त्रित करने व वाद बाहुल्यता को बढ़ने से रोकने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा व क्रोस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
	–:: क्रियात्मक आदेश ::–
	अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे दावे के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 3377, 3378, 3379, 3380, 3381 कुल किता 5 कुल रकबा 0.3700 हैक्टर तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय … न्यायालय मे सुनाया गया।
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
	यह निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested